



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला विकासनगर रोड़, देहरादून

प्रेषक,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड, ।

पत्रांक: C-1478/कुपोषण-2197/2012-13

दिनांक: 31 जुलाई 2012

विषय:- राज्य में दिनांक 15.08.2012 से 31.08.2012 तक वजन पखवाड़ा मनाए जाने एवं माह अगस्त में नियत तिथियों दिनांक 3,11,16 तथा 24 अगस्त 2012 MCP (Mother Child Protection Card) कार्ड भरने हेतु प्रशिक्षण अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 9 जुलाई 2012 को सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिनांक 15.08.2012 से 31.08.2012 तक वजन पखवाड़ा मनाया जाए तथा माह अगस्त में नियत तिथियों दिनांक 3,11,16 तथा 24 अगस्त 2012 MCP (Mother Child Protection Card) कार्ड भरने हेतु प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया जाना है।

उपरोक्त क्रम में यह अवगत कराना है कि बच्चों का पोषण स्तर ज्ञात करने के उद्देश्य से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 0-6 वर्ष तक के बच्चों का वजन प्रतिमाह लिया जाता है। वजन लेकर श्रेणी निर्धारित की जाती है जिस हेतु तीन ग्रेड निर्धारित हैं सामान्य, कुपोषित, अतिकुपोषित। सभी बच्चों का वजन लेकर MCP कार्ड पर अंकन किया जाता है। कुपोषण की गंभीर समस्या के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है अतः कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों को चिकित्सा केन्द्रों को संदर्भित किया जाता है। निदेशालय को प्राप्त प्रत्येक माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट में प्रायः यही देखा गया है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत सभी बच्चों का वजन न लेकर कम बच्चों का लिया जा रहा है जो कि उचित नहीं है।

अतः पल्स पोलियो अभियान की भांति उक्त अभियान में जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित करते हुए उपरोक्त सभी तिथियों पर इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से अनुश्रवण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
निदेशक

(Handwritten signature)

शीर्ष प्राथमिकता / व्यक्तिगत घ्यानाकर्षण



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला विकासनगर रोड़, देहरादून



पत्रांक: C-1513 / कुपोषण- 2197 / 2012-13

दिनांक: 31/8/2012


समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय: दिनांक 15.08.2012 से 31.08.2012 तक वजन पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक: सी0-1315 / कुपोषण- 2197 / 2012-13 दिनांक 11 जुलाई 2012 के क्रम में निर्देश दिए गए थे कि सभी जनपदों के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिनांक 15.08.2012 से 31.08.2012 तक वजन पखवाड़ा आयोजित किया जाना है।

अतः उपरोक्त क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक मुख्य सेविका अपने क्षेत्र के 05 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का वजन अपनी उपस्थिति में कराएंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने सर्वे क्षेत्र के समस्त बच्चों का वजन लेने के उपरान्त इस आशय का प्रमाण पत्र अपने ग्राम प्रधान / वार्ड मेम्बर से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करेंगी कि इनके सर्वे क्षेत्र के उक्त आयुवर्ग के समस्त बच्चों का वजन कर लिया गया है और कोई भी बच्चा छूटा नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लें कि door to door भी वजन लेते हुए अपने जनपद के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा समस्त 0-5 वर्ष तक के बच्चों के लिए गए वजन की सूचना प्रत्येक शनिवार को निर्धारित प्रारूप पर फैक्स / ई0मेल द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायें।

संलग्न-प्रारूप


(कामिनी गुप्ता)
कार्यक्रम अधिकारी(मु0)

स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उत्तराखण्ड की नौनिहालों के लिये वजन पखवाड़े का आयोजन।



श्री विजय बहुगुणा
मा0 मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड



श्रीमती अमृता रावत
मा0 मंत्री
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड



सम्पूर्ण टीकाकरण, नियमित वजन
स्वस्थ बच्चा, खुशहाल घर आंगन

सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 15.08.2012 से 31.08.2012 तक वजन पखवाड़ा अभियान के अन्तर्गत अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर माताएं अपने 0-5 वर्ष के बच्चों का वजन अवश्य कराएं।

“आइए आंगनबाड़ी चलें, बच्चों का भविष्य खुशहाल करें”

निवदेक:

मनीषा पंवार
सचिव
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

अमित सिंह नेगी,
निदेशक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड।